311

संख्याः 216 /X-4-14/2(31)2014

प्रेषक,

पी0के0पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फॉरेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः ~~नवम्बर, 2014~~ 19 जनवरी 2015

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

विषयः जनपद उत्तरकाशी में स्वजल परियोजना के अर्न्तगत ग्राम पंचायत ,देवल के जैली पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.596 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उपभोक्ता पेयजल समिति एवं स्वच्छता उप समिति, ग्राम पंचायत देवल को 15 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1307/2जी–456(उ0का0) दिनांक 17.011.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–11–9/98–एफ.सी. दिनांक 13–02–2014 में निहित प्राविधानों के क्रम में श्री राज्यपाल **जनपद उत्तरकाशी में ग्राम पंचायत, देवल के जैली पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.596 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उपभोक्ता पेयजल समिति एवं स्वच्छता उप समिति ग्राम पंचायत देवल को 15 वर्षों की लीज पर** निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
(2) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
(3) प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाता है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
(4) प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
(5) वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
(6) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख– रखाव किया जायेगा।
(7) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।
(8) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
(9) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
(10) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
(11) प्रयोक्ता एजेन्सी वन विभाग को वानिकी कार्यों के लिए निःशुल्क जलापूर्ति करेगा।
(12) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पाईप हेतु खोदी गयी नाली में पाईप डालने के उपरान्त पुनः ठीक से मिट्टी भरान किया जायेगा व भूक्षरण को रोकने हेतु आवश्यक वानस्पतिक प्रजातियों/घास/झाड़ियों का रोपण किया जायेगा।

(13) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दोनों इन्टेक चैम्बर से जल श्रोत से विद्यमान जल के 50 प्रतिशत से अधिक का विदोहन नहीं किया जायेगा और इन्टेक चैम्बर भी इसी के अनुसार निर्मित किये जायेंगे।

(14) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नाली से उत्सर्जित मलवे को सुरक्षित स्थल पर ढुलान करके ले जाया जायेगा।

(15) प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित कार्य स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण की धनराशियों को भारत सरकार के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(16) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल पुनर्वास पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

(17) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या 198/7–जी–सी–89–3–89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

(18) शासनादेश संख्या 85/7(व.भू.ह.)–1–2007–700(1994)/2007, दिनांक 21.09.2007 के अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनाओं हेतु प्रस्तावित वन भूमि पंचायती राज संस्थाओं के अधीन गठित पेयजल एवं स्वच्छता समितियों को निःशुल्क प्रत्यावर्तित की जायेगी।

(19) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक होने की स्थिति में उपरोक्त दी गयी स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित है।

भवदीय,

(पी0के0पात्री)
अपर सचिव।

संख्याः 216 (1)/X-4-14/02(31)/2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0 आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
6. परियोजना प्रवन्धक,स्वजल परियोजना डी.पी.एम.यू. उत्तरकाशी।
7. अध्यक्ष उपभोक्ता पेयजल समिति एवं स्वच्छता उप समिति ग्राम पंचायत देवल, नौगांव उत्तरकाशी।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Akhilesh

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।